29/10/15. वकील वादी उपस्थित। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO, गुड़ामालानी

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 215/2015

प्रार्थीनी

1. मंगुदेवी पुत्री बनाराम पत्नी रूगनाथराम जाति मेघवाल निवासी सड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सावला पुत्र अमरा
2. राणा पुत्र हेमाराम
3. चेलाराम पुत्र हेमाराम
4. तिलोकाराम पुत्र हेमाराम
5. मंगलाराम पुत्र हेमाराम
6. समदादेवी पत्नी हेमाराम जातियान मेगवाल, निवासीयान सड़ा, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
7. माधाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेगवाल, निवासी सडा, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार सिणधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने बाबत्

उपस्थित :

1. **श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता प्रार्थीनी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 20.10.2015

प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 334, 360 कुल रकबा 59.18 बीघा मौजा सडा, खसरा संख्या 318 रकबा 99.02 बीघा माजा हरनिगर व खसरा संख्या 519 रकबा 51.05 बीघा मौजा सडा में आया हुआ है। उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा उनके पिता स्व. बनाराम के देहान्त होने पर उनके प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से प्राप्त हुई। प्रार्थीनी के पिता के देहान्त पर उत्तराधिकार का नामान्तरण संख्या 147 विप्रार्थी संख्या 01 व विप्रार्थी 2 से 5 के पिता अमरा व हेमा ने पटवारी से मिलकर उनकी जाईन्दा बहनों को वारीसान न बताकर गलत व अवैध रूप से अपने नाम से तस्दीक करवाया। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त है। प्रार्थीनी अनपढ व औरत जात होने के कारण इतने दिनों तक उन्हें अपना नाम खातेदारी में दर्ज होने का ज्ञान नहीं रहा और न ही विप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी की। आज से करीबन सप्ताह भर पूर्व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अपने नाम से प्रविष्टि का अनुचित लाभ उठाते हुए वाद ग्रस्त आराजी में से कुछ भूमि का बेचान करने पर उतारू है और कुछ भूमि का बेचान कर चुका है तथा प्रार्थीनी के हक हिस्से की भूमि का भी बेचान कर प्रार्थीनी को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीनी ने अपने हकों की घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
SDO, गुड़ामालानी

Scanned by CamScanner

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2015 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीनी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने दावा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीनी की पैतृक भूमि है, तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी का है, जिससे प्रार्थीनी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और अगर निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अब इस न्यायालय को तय यह करना है कि क्या प्रार्थीनी उक्त वादग्रस्त आजारी में विरूद्ध विप्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। पत्रावली के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीनी स्व0 बनाजी की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का हक निहित है। विप्रार्थीगण द्वारा बाबजूद नोटिस तामील प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नहीं किया है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के हक में है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थीनी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्राथीर्नी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विरूद्ध विप्रार्थीगण दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 334, 360 कुल रकबा 59.18 बीघा मौजा सडा, खसरा संख्या 318 रकबा 99.02 बीघा माजा हरनिगर व खसरा संख्या 519 रकबा 51.05 बीघा मौजा सडा में खेत खसरा में प्रार्थीनी के हक हिस्से में वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें एवं बेचान आदि न करे तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। खर्चा हर्जा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अपना अपना स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक 20.10.2015 करे खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/10/15

(नाथूसिंह राठौड़)
सहायक कलक्टर
(SDO) सुजानगढ़

Scanned by CamScanner